201

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर म. प्र.

निगरानी - 4636/2018/दतिया/भू.रा

प्रकरण क्रमांक :– आर / .... / 2018 / दतिया / भू.रा

1– संतोष कुमार सोनी

2– पंचमलाल सोनी

3– रामकुमार सोनी पुत्रगण श्री गोविन्दास सोनी निवासीगण ग्राम वार्ड नम्बर 4 सेवड़ा जिला दतिया म. प्र. –प्रार्थीगण

बनाम

मनोज कुमार पुत्र श्री फूल सिंह कुशवाह निवासी ग्राम ग्यारा तहसील सेवड़ा जिला दतिया म. प्र. –प्रतिप्रार्थी

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 07/06/2018 राजस्व निरीक्षक वृत मंगरोल तहसील सेवड़ा जिला दतिया म. प्र. प्रकरण क्रमांक 8/अ–12/2017–18।

महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

विलम्ब की स्थिति :– निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण :–

1– यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, प्रतिप्रार्थी ने अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक वृत मंगरौल से सर्वे नम्बर 136/1

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
निगरानी 4636/2018/दतिया/भू.रा

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
25.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री अशोक भार्गव उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त मंगरौल जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक 08/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 07.06.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:- धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन- (ख) इस संहिता के अधीन निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सेंवढ़ा जिला दतिया के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 29/04/19 को उपस्थित हों। पेशी दिनांक 29/4/19 सदस्य **अनुविभागीय अधिकारी सेंबढ़ा जिला दतिया**	